(103)

**GOVERNMENT OF INDIA**
**MINISTRY OF RAILWAYS**
**(RAILWAY BOARD)**

No. 2017/E(O)II/14/31 New Delhi, dated 06.06.2017

**OFFICE ORDER NO. 43 OF 2017**

Sub: Proposals relating to the foreign visit of officers – Inclusion of additional cost of registration fee etc.

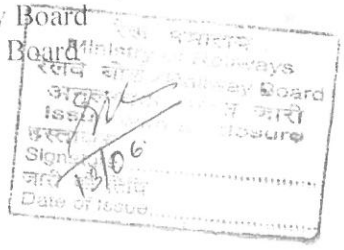
As per instructions in vogue, proposals for deputation of Railway officers abroad for participation in Conference, Workshops, Exhibitions etc. are processed by the Secretary's Directorate for finance concurrence and approval by the Competent Authority. Such proposals are required to be sent to the Secretary's Directorate after obtaining administrative approval by the concerned Board Member/DG with detailed justification, supporting documents like invitation letter and information in the prescribed format.

2. While considering the proposal for foreign visits, cost estimate is one of the factors considered by the Associate Finance and the Competent Authority. In one of the recent cases it was observed that information regarding registration fee payable was not indicated in the proposal sent to the Secretary's Directorate and as such it could not be included in the cost estimate. Subsequently, after approval of the proposal by the Competent Authority, the issue of sanction for payment of registration fees came up, requiring the proposal to be re-assessed. To avoid such lapses in future, it may be ensured that all relevant information necessary to work out the total cost of the visit, especially additional costs like registration fees, if any, be indicated invariably in the initial proposal for seeking administrative approval for deputation of officers abroad.

**(K. Gangadharan)**
**Director(D)**
**Railway Board**

Copy to:

1. PSOs/Sr.PPS to CRB, FC, MT, ME, MRS, MTR, MS, DG/Pers, DG/RS, DG/S&T, DG/RPF and DG/RHS
2. All Additional Members & Advisers/Railway Board
3. All Executive Directors of Railway Board
4. All officers and Branches/Railway Board



(102)

**भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA**
**रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS**
**(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)**

सं.2017/ई(ओ)II/14/31 नई दिल्ली, दिनांक 06.06.2017

**2017 का कार्यालय आदेश सं. 43**

विषय: अधिकारियों के विदेश दौरे से संबंधित प्रस्ताव - पंजीकरण शुल्क आदि की अतिरिक्त लागत का समावेशन।

प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, विदेश में सम्मेलन, कार्यशाला, प्रदर्शनी, आदि में भाग लेने हेतु रेलवे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के प्रस्तावों के संबंध में वित्त सहमति और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए सचिव निदेशालय द्वारा कार्यवाही की जाती है। ऐसे प्रस्तावों को संबंधित बोर्ड सदस्य/महा निदेशक से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् विस्तृत औचित्य, सहायक दस्तावेज़ों जैसे आमंत्रण पत्र और निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी भरकर सचिव निदेशालय को भेजना अपेक्षित होता है।

2. विदेश दौरे के लिए प्रस्ताव पर विचार करते समय, सहायक वित्त और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमानित लागत पर विचार किया जाता है। हाल ही के एक मामले में यह देखा गया है कि सचिव निदेशालय को भेजे गए प्रस्ताव में देय पंजीकरण शुल्क के बारे में सूचना नहीं दी गई थी अतः इसे अनुमानित लागत में शामिल नहीं किया जा सका। तत्पश्चात, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद, पंजीकरण शुल्क के भुगतान की स्वीकृति का मामला सामने आया, जिसके कारण प्रस्ताव का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। भविष्य में इस तरह की चूकों से बचने के लिए, यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिकारियों की विदेश में प्रतिनियुक्ति हेतु दौरे की कुल लागत परिकलित करने के लिए आवश्यक सभी संगत सूचना मुख्यतः अतिरिक्त लागत जैसे पंजीकरण शुल्क, यदि कोई हो तो, प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आरंभिक प्रस्ताव में निरपवाद रूप से दी जाए।

(के. गंगाधरण)
निदेशक (डी)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य यातायात, सदस्य इंजी, सदस्य चल स्टाक, सदस्य कर्षण, सदस्य कार्मिक, महा निदेशक/कार्मिक, महा निदेशक/ रेल भंडार, महा निदेशक/ सिगनल एवं दूरसंचार, महा निदेशक/रे सु ब और महा निदेशक/रेलवे स्वास्थ्य सेवाएँ के प्रधान स्टाफ अधिकारी/वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव,
2. सभी अपर सदस्य एवं सलाहकार/रेलवे बोर्ड
3. रेलवे बोर्ड के सभी कार्यपालक निदेशक
4. सभी अधिकारी और शाखाएँ/रेलवे बोर्ड

